की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को इस बारे में कोई निदेश जारी किए है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**पेट्रोलियम, रसायन तथा अलोह धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी)** : (क) और (ख). राज्य सरकारों से जानकारी की अपेक्षा की गई है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रखी जायेगी ।

(ग) जी नही ।

(घ) प्रश्न नही उठता है ।

**निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास के लिए राज्य सरकारों को अनुदान**

15. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास कार्यक्रमो के लिए अनुदान प्रदान करती है ;

(ख) यदि हां, तो बिहार राज्य की सरकार को 1967 से 1970 तक वर्षवार दिए गए अनुदानों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या मजूर की गई राशि के सम्बन्ध में और मकानों के नियतन मे गम्भीर अनियमितताएं की गई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी अनियमितताओं को रोकने के उद्देश्य से सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री, (श्री इ० कु० गुजराल)** : (क) और (ख) अनुदान (सहायता) निर्माण, आवास तथा नगर-विकास मन्त्रालय द्वारा आरम्भ की गई विभिन्न प्रकार की चार निम्नलिखित सामाजिक आवास योजनाओं के लिए उपलब्ध है :—

(i) औद्योगिक कर्मचारियों तथा समुदाय के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए एकीकृत सहायता प्राप्त आवास योजना ।

(ii) बागान कर्मचारियों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजना ।

(iii) ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम ।

(iv) गन्दी बस्ती हटाओ तथा सुधार योजना ।

सिवाए ऊपर (ii) पर की योजना को छोड़, ये सभी योजनाएं राज्य क्षेत्र में हैं और बिहार में चालू है ।

1968-69 के अन्त तक सभी सामाजिक आवास योजनाओ के लिए केन्द्रीय सहायता राज्य सरकारों द्वारा, योजना के अनुमोदित व्यय के अनुसार, उनके वास्तविक व्यय के आधार पर ली जा रही थी । 1967-68 और 1968-69 के दौरान बिहार सरकार को स्वीकृत किए गए केन्द्रीय "अनुदान" नीचे दिए जाते हैं :—

| | 1967-68 | 1968-69 |
|---|---|---|
| | (लाख रुपयों मे) | |
| (क) औद्योगिक कर्मचारियों आदि के लिए एकीकृत सहायता प्राप्त आवास योजना, | 4.00 | 3.14 |

| | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| (ख) | ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम | 0.25 | 0.36 |
| (ग) | गन्दी बस्ती हटाओ सुधार योजना | 0.04 | 0.81 |
| | जोड़ :— | 4.29 | 4.31 |

2. 1969-70 से आरम्भ होने वाली चौथी पंच-वर्षीय योजना के दौरान राज्य सरकारों को राज्य क्षेत्र के सभी कार्यक्रमों (आवास और नगर-विकास सहित) के लिए केन्द्रीय सहायता इकट्ठी "खण्ड ऋणों" और "खण्ड अनुदानों" के रूप में दी जा रही है, जो किसी विशेष विकास शीर्ष या कार्यक्रम से सम्बद्ध नहीं है। राज्य सरकारों को राज्य क्षेत्र के विभिन्न कार्यक्रमों (आवास और नगर-विकास) के लिए अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार किसी भी राशि को नियतन करने की पूरी स्वतन्त्रता है। अतः 1969-70 में राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न आवास योजनाओं के अधीन उपयोग में लाए गए अनुदान के आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) ऊपर कही गई चार योजनाओं के बारे में औद्योगिक कर्मचारियों आदि के लिए एकीकृत सहायता प्राप्त आवास योजना के बारे में ही केवल अनियमितता नोटिस में आई है। इस योजना के अन्तर्गत बिहार सरकार द्वारा बनाए गए कुल 6,351 मकानों में से 338 मकानों की अपात्र व्यक्तियों के दखल में होने की सूचना मिली है। राज्य सरकार पर इन मकानों को खाली कर पात्र कर्मचारियों को आवंटन करने के लिए निरन्तर दबाव डाला जा रहा है।

**गन्दी बस्तियों को हटाने हेतु राज्य सरकारों को अनुदान**

16. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गन्दी बस्तियों को हटाने के लिए कोई योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को इस कार्य के लिए अनुदान भी देती है ; यदि हां, तो वर्ष 1967 से 1970 तक विभिन्न राज्य सरकारों को दिए गए वार्षिक अनुदानों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या अनेक राज्यों सरकारों ने उक्त राशि का उपयोग नहीं किया है, यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या है और अप्रयुक्त राशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या कुछ राज्य सरकारों ने मांग की है कि इस उद्देश्य के लिए अनुदानों को बढ़ाकर शत-प्रतिशत कर दिया जाए, और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :** (क) गन्दी बस्ती हटाओ/सुधार योजना 1956 में भारत सरकार द्वारा आरम्भ की गई थी। इस योजना में, जोकि राज्य/संघ क्षेत्र सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, निम्न व्यवस्था है :

(i) गन्दी बस्ती क्षेत्रों का अर्जन तथा गन्दी बस्ती क्षेत्रों में रह रहे उन परिवारों का, जिनकी आय 350 रुपये प्रतिमास से अधिक नहीं है, सम्बन्धित गन्दी बस्ती निवासियों की किराया अदा करने की क्षमता के अनुसार,